पत्रांक / /आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 /15–16/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांकः देहरादून ::16 जून 2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन वित अनुभाग–8 द्वारा जारी पत्र संख्या 239/2015/xxvii-8/66 (120)/2003 दिनांक 06 जून 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में टैंट व्यवसायियों के लिये वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये देय कर के स्थान पर समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

उपरोक्त पत्र की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(पीयूष कुमार)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

पृ0प0सं0 1465/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– सलाहकार 'कर' उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमांऊ जोन रूद्रपुर।
5– एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6– **ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/ सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

कमशः पेज–2

8– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

9– **श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।**

10– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।

11– **आई0टी0–अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र को स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।**

12– उत्तरांचल ब्रिक्स एण्ड टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन 7 सहारनपुर रोड़ देहरादून।

13–Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13– आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महाराष्ट्र।

14–National Law House बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

15–National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

16–Swastik Publication एस0ई–233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

17–Law Book Traders 10–नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।

18–डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

19–अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्यौगिक क्षेत्र देहरादून।

20–प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

21–दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।

22– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी 81–मोती बाजार देहरादून।

23–The whole sale dealers Association 14–आढ़त बाजार देहरादून।

24– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।

25– कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

26– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

संख्या-239/2015/XXVII-8/66(120)/2003

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-8 देहरादून दिनांकः 06 जून 2015

विषयः-उत्तराखण्ड राज्य में टैंट व्यवसायियों के लिये वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के सम्बन्ध में देय कर के स्थान पर समाधान योजना लागू किये जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5741/आयु0कर0उत्तरा0/प0सं0/विधि0-अनु0/2014-15, दिनांक 09 मार्च, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा टैंट व्यवसायियों के लिये समाधान योजना का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 व 2015-16 चार वर्षों के लिये देय कर के स्थान पर समाधान योजना निम्नवत् लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

समाधान राशि(रूपये में)

स्टॉक सीमा वर्ष	रू0 5लाख तक	रू0 5 लाख से रू0 15 लाख तक	रू0 15 लाख से रू0 25 लाख तक	रू0 25 लाख से रू0 50 लाख तक
2012-13	10400	41500	105800	188700
2013-14	12500	49800	127000	226500
2014-15	15000	59800	152400	271800
2015-16	18000	71800	182900	326200

इस योजना से सम्बन्धित शासन के दिशा-निर्देश एवं प्रारूप-1 (समाधान हेतु प्रार्थना-पत्र) एवं प्रारूप-2 (शपथ-पत्र/अनुबन्ध पत्र) संलग्न हैं। इस योजना का अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये यथोचित कार्यवाही कृपया प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

Letter section/

उत्तराखण्ड में पंजीकृत टैन्ट व्यवसायियों के लिये वित्तीय वर्ष 2012–13 से वर्श 2013–14 व 2014–2015 तथा 2015–2016 तक माल के उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण पर वाणिज्य कर के विकल्प में एक मुश्त समाधान धनराशि स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश।

टैन्ट व्यवसाइयों के लिये वित्तीय वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी कालीन दरी, चादर, गददा, तकिया, रजायी, कम्बल, किचेन वेयर, सजावट के सामान आदि के माल के उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण पर वाणिज्य कर के विकल्प में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के अन्तर्गत समाधान राशि निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार की जायेगी:–

1– स्लैबवार समाधान धनराशि वर्ष के प्रारम्भ में व्यवसायियों के पास उपलब्ध स्टाक के अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

समाधान राशि(रूपये में)

स्टॉक सीमा वर्ष	रू0 5लाख तक	रू0 5 लाख से रू0 15 लाख तक	रू0 15 लाख से रू0 25 लाख तक	रू0 25 लाख से रू0 50 लाख तक
2012–13	10400	41500	105800	188700
2013–14	12500	49800	127000	226500
2014–15	15000	59800	152400	271800
2015–16	18000	71800	182900	326200

2– इस समाधान योजना में व्यवसायियों द्वारा टैण्ट कनात, मेज, कुर्सी कालीन दरी, चादर, गददा, तकिया, रजाई, कम्बल, बेड तथा सजावट के सामान सम्मिलित हैं। अतः उक्त सभी वस्तुओं को उक्त स्टाक में शामिल करते हुए समाधान शुल्क की गणना की जायेगी।

3– समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये समाधान योजना प्रारम्भ की प्रथम तिथि को उपलब्ध स्टाक समाधान योजना के प्रार्थना–पत्र के साथ घोषित किया जायेगा।

4– मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अधीन देय कर के विकल्प में समाधान योजना के अर्न्तगत विकल्प देनें वाले टेण्ट व्यवसाईयों द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तराखण्ड द्वारा इस योजना को निर्गत किये जाने की तिथि के 45 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप में विकल्प प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र निर्धारित समाधान राशि के जमा के ट्रेजरी चालान के साथ अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् विशेष परिस्थितियों में कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड को अगले 30 दिन की अतिरिक्त अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा, लेकिन इस बढ़ायी गयी अतिरिक्त अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

5– वर्ष के दौरान पंजीयन लेने वाला व्यापारी पंजीयन प्रभावी तिथि में 45 दिन के अन्दर उक्त प्रस्तर 4 के अनुसार समाधान विकल्प ले सकता है परन्तु समाधान राशि के वर्ष के भाग के लिये कोई कमी नहीं की जायेगी।

6– यह समाधान योजना वैकल्पिक है। जो व्यवसायी समाधान योजना एक बार अपना लेंगे उन्हें इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वे समाधान योजना का विकल्प वापस ले लें।

7– जो व्यवसायी एक से अधिक जनपदों में कार्य करते हैं, वह अपने मुख्यालय की घोषणा सम्बन्धित मुख्यालय के कर निर्धारक अधिकारी को देंगे तथा अन्य जिलों के ऐसे वाणिज्य कर अधिकारियों, जिनके क्षेत्र में उनका उप–व्यापार स्थल स्थित हैं, को भी सूचित करेंगे। जिन व्यवसायियों का मुख्यालय उत्तराखण्ड राज्य के

बाहर अथवा भारत वर्ष के बाहर हो तथा उनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर भी विभिन्न जिलों में कार्य किया जाता हो ऐसे व्यवसायी उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर किसी एक कार्यस्थल को अपना प्रदेशीय मुख्यालय घोषित करेंगे।

8– समाधान राशि, उस पर देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 के प्राविधानों के अन्तर्गत भू–राजस्व की बकाया के रूप में की जायेगी तथा धारा–58 के प्राविधानों के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है।

9– यदि यह पाया जाता है कि व्यवसायी द्वारा समाधान योजना में शामिल होने हेतु दिये प्रार्थना–पत्र/शपथ–पत्र में कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा काई गलत विवरण दिया गया है तो कर निर्धारक अधिकारी को यह अधिकारी होगा कि वह एकमुश्त धनराशि, जमा करने के सम्बन्ध में हुये अनुबन्ध को निरस्त कर सके तथा नियमानुसार कर निर्धारण, अर्थदण्ड अथवा अभियोजन की कार्यवाही कर सके।

10– समाधान योजना अपनाने वाले व्यवसायी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने स्टॉक का विवरण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी स्टॉक का सत्यापन कर सकेगें। करदाता व कर निर्धारण अधिकारी के स्टॉक के अनुमान में भिन्नता की स्थिति में सम्भागीय ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0) का निर्णय अंतिम होगा।

11– यदि कोई टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी कालीन दरी, चादर, गददा, तकिया, रजायी, कम्बल, किचेन वेयर, सजावट के सामान आदि के माल के प्रयोग के लिये अधिकार के हस्तान्तरण के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार करता है तब ऐसे अन्य व्यापार के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। ऐसे अन्य व्यापार के सम्बन्ध में समाधान योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

12– समाधान योजना के सम्बन्ध में घोषित स्टाक के मूल्य का सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी सर्वेक्षण एवं अभिलेखों की जांच कर सकेंगे। व्यवसायी इस जांच में सहयोग करेंगे। असहयोग की स्थिति में उनके प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

13– समाधान योजना जारी होने के निर्धारित अवधि के अन्दर जो व्यवसायी समाधान योजना को विकल्प नहीं चुनेंगे,उनके मामले में त्रैमासिक रूपपत्र प्रस्तुत न करने और स्वीकृत देय कर जमा न करने के मामलों में विधि अनुसार अर्थदण्ड आदि की कार्यवाहियां तत्परतापूर्वक की जायेगी।

14– वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–2015 व 2015–16 के लिये जिन व्यवसायियों द्वारा समाधान योजना के पूर्व स्वयं अपनी ओर से कोई धनराशि जमा की जा चुकी है तो समाधान योजना अपनाने पर जमा धनराशि का समायोजन सम्बन्धित वर्ष के लिये लागू समाधान योजना में कर दिया जायेगा बशर्ते ग्राहकों से वसूली धनराशि न हो।

15– समाधान योजना अपनाने वाले व्यवसाईयों द्वारा कोई टैक्स अपने जारी बीजक में वसूल नहीं किया जायेगा तथा ऐसे व्यवसाईयों को किसी प्रकार की आई0टी0सी0 की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

16– भू–राजस्व की बकाया के रूप में की जायेगी। विवादित बिन्दुओं पर कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

17– शासन द्वारा वर्ष के दौरान समाधान योजना कभी भी पुनरीक्षित की जा सकती है या वापस ली जा सकती है। ऐसी दशा में समानुपातिक रूप से समाधान राशि देय होगी।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

Letter section/

प्रारूप–1

उत्तराखण्ड राज्य में टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी कालीन दरी, चादर, गददा, तकिया, रजाई, कम्बल, किचेन वेयर, सजावट के सामान आदि के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण पर वाणिज्य कर के विकल्प में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7(2) के अन्तर्गत समाधान हेतु प्रार्थना पत्र।

सेवा में,

असिस्टेण्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी,

खण्ड.....

मण्डल/उपमण्डल.....

महोदय,

मै, फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15 में .....कार्यालय.....द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या.....दिनांक.....से प्रभाव जारी किया गया को स्वामी/साझीदार.....हूं। मैंने टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी कालीन दरी, चादर, गद्दा, तकिया, रजाई कम्बल, किचेन वेयर, सजावट के सामान आदि की उक्त अवधि में किये गये माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त धनराशि पर देय वाणिज्य कर के विकल्प में एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भली भांति समझ लिया है उस निर्देष की सभी शर्तें मुझे मान्य है। उन्हीं के अधीन में यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं उक्त फर्म द्वारा टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी कालीन दरी, चादर, गद्दा, तकिया, रजायी, कम्बल, किचेन वेयर, सजावट के सामान आदि.....की अवधि के लिये, माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त धनराशि पर देय वाणिज्य कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि संलग्न शपथ–पत्र अनुबन्ध के अनुसार रूपया..... स्वीकार किये जाने का निवेदन करता/करती हूं। उक्त धनराशि मेरे द्वारा जमा कर दिया गया है जिसका चालान संलग्न है मैं.....यह भी घोषणा करता/करती हूं कि किसी कारण मेरा यह निवेदन वापस/निष्प्रभावी नहीं होगा।

दिनांक.....को मेरे स्टाक निम्नवत थाः–

क्रम संख्या	माल का विवरण (साइज के अनुसार अलग–अलग)	संख्या	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
1				
2				
3				
4				
5				
योग				

मेरी उपर्युक्त फर्म द्वारा अन्य कोई व्यापार नहीं किया जाता है। यदि मेरे फर्म द्वारा उपर्युक्त माल के प्रयोग के अधिकार के हस्तान्तरण के अतिरिक्त भी व्यापार किया जाता है तो ऐसे अन्य व्यापार के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत रिटर्न प्रस्तुत करने, कर जमा करने, कर निर्धारण करने की नियमित कार्यवही कराऊंगा। भविष्ट में भी अन्य व्यापार प्रारम्भ करने की स्थिति में भी यही प्राविधान मान्य होगा।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
प्रास्थिति.....

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म.....
.....के स्वामी/साझीदार.....है। तथा इस प्रार्थना–पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पूरा पता.....

आवश्यकतानुसार अवधि/तिथि का उल्लेख किया जाये।

प्रारूप–2

शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र

असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी,

खण्ड.....

मण्डल/उपमण्डल.....

मैं.....पुत्र श्री.....आयु लगभग.....वर्ष स्थायी निवासी.....(पूरा पता).....शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि–

1– मैं फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....(पूरा पता) स्थित है का स्वामी/साझीदार हूँ.....(प्रास्थिति) हूँ। तथा यह शपथ–पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा/रही हूँ।

2– मेरी फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् है–

पूरा पता	वस्तुऐं जिन्हें किराये पर दिया जाता है।

1– मुख्यालय

2– शाखायें

(अ)

(ब)

(स)

इसके अतिरिक्त प्रदेश में कोई अन्य शाखा नहीं है।

3–फर्म द्वारा टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी कालीन दरी, चादर, गददा, तकिया, रजायी, कम्बल, किचेन वेयर, सजावट के सामान आदि में माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त धनराशि पर देय वाणिज्य कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एक मुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों की पूरी–पूरी एंव सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्व अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है तथा सभी निर्देश, शर्ते, आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्व व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।

4– मेरी उक्त फर्म के अपने निजी, टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी कालीन दरी, चादर, गददा, तकिया, रजायी, कम्बल, किचेन वेयर, सजावट के सामान आदि का दिनांक.....को निम्नलिखित विवरण के अनुसार माल स्टाक में था/है–

क्रम संख्या	माल का विवरण (साइज के अनुसार अलग–अलग)	संख्या	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
1				
2				
3				
4				
5				
योग				

Letter section/

(आवश्यकतानुसार अलग संलग्नक का प्रयोग किया जा सकता है)

5– प्रस्तर–4 में अंकित स्टाक, मात्रा, मूल्य तथा इसी तालिका में प्रस्तर–4 में अंकित धनराशि का कुल योग दिनांक.....को रूपया.....था, जिसके अनुसार समाधान राशि मेरी फर्म/हमारी फर्म द्वारा देय होगी।

6– यदि वित्तीय वर्ष दिनांक .....से .....तथा वित्तीय वर्ष दिनांक.....से दिनांक.....के लिये मेरा समाधान धनराशि का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र/अनुबन्ध के अनुलग्नक 1 में दी गयी शर्तों का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा लगाई गयी शर्तो/प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिये बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देषों, लगाये गये प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तों के अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तराखण्ड सरकार तथा वाणिज्य कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियां मेरी फर्म के विरूद्व कर सकेगी।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर.....

पूरा पता.....

प्रास्थिति.....

घोषणा

मैं .....उपरोक्त घोषणा करता/करती हूँ कि शपथ पत्र/अनुबन्ध के प्रस्तर 1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तो और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्व अन्य सभी व्यक्ति आबद्व रहेंगे।

हस्ताक्षर.....

पूरा पता.....

प्रास्थिति.....

साक्षी के हस्ताक्षर.....

नाम एवं पता.....

तिथि एवं स्थान.....